भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1911

12.02.2021 को उत्तर के लिए

फसलों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन

1911. सुश्री सुनीता दुग्गल :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भारत में हरित कृषि संबंधी लक्ष्यों को अपनाने में खतरा है;

(ख) यदि हॉ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) खेती के दौरान अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाली फसलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार किसानों को अन्य पर्यावरणीय रूप से अनुकूल फसलों की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) देश में जलवायु अनुकूल कृषि अपनाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) भारत की दूसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) 2018 के अनुसार, वर्ष 2014 में देश में हुए कुल ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जनों का 16% हिस्सा, कृषि क्षेत्र से उत्सर्जित हुआ। कृषि क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जनों के मुख्य स्रोत, मीथेन (74%) और नाइट्रस ऑक्साइड (26%) हैं। कृषि क्षेत्र से मीथेन का उत्सर्जन, मुख्य रूप से पशु पालन (आंत्रिक किण्वन और खाद प्रबंधन) और चावल की खेती के कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र की मृदा पर उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण उत्सर्जित होती है। तथापि, भारत ने अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में 21% तक कम कर दिया है और इस प्रकार यह अपने पूर्व-2020 स्वैच्छिक उत्सर्जन न्यूनीकरण के लक्ष्य को पूरा कर रहा है। यह पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने एनडीसी (राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान) लक्ष्यों को पूरा करने के पथ पर भी अग्रसर है।

(घ) और (ड.) राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) को वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है। एनएमएसए में अनेक अनुकूलन उपायों के माध्यम से संधारणीय कृषि हेतु एकीकृत फार्मिंग प्रणाली, मूल्य संवर्धन और फार्म विकास कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जाता है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, (i) उन्नत फसल बीज, (ii) पशुपालन और मत्स्य पालन, (iii) जल उपयोग दक्षता, (iv) कीट प्रबंधन, (v) उन्नत फार्म पद्धतियां, (vi) पोषण प्रबंधन, (vii) कृषि बीमा, (viii) ऋण सहायता, (ix) बाजार तथा (x) सूचना प्राप्ति और आजीविका विविधीकरण शामिल हैं।

राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआइसीआरए) परियोजना का लक्ष्य, रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जलवायु संवदेनशीलता के प्रति भारतीय कृषि की अनुकूलता में संवर्धन करना है। फसल विविधीकरण कार्यक्रम को बहुत अधिक जल में होने वाले धान क्षेत्र को दालों, तिलहन, मक्का और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों तथा कृषि-वानिकी पौधरोपण में अपवर्तित करने के लिए वर्ष 2013-14 से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रदेशों में चावल तीव्रीकरण प्रणाली (एसआरआई) को अपनाने के परिणामस्वरूप, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आई है। एनआइसीआरए परियोजना के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में चावल-चावल के स्थान पर चावल-दाल (मूंग/उड़द) की फसल उगाने की प्रणाली में परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता है। पुन:संरचित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को वर्ष 2018-19 से प्रचालन में लाया गया है और इसके अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु अनुकूलता तैयार करने के लिए किसानों के खेतों, कृषि फार्मों, सामुदायिक भूमियों, कृषि योग्य बंजरभूमि आदि में बांस रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

*****